

FORM NO. III

(C)

फर्द अहकाम

2022/153

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (नियाम 26)
बडीसादडी वि. पिपली मुकाम
शिवनारायण वनाम मोतीलाल
 किस्म मुकद्दमा श.पञ 128 LRA सं. 106/2022 मनु

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही का इतिहास | नम्बर व नारीन्द्र अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|----------------|--|--|
| 25/5/22 | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय वहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... उत्तरवाडा ग्राम..... आ.न..... 247 248 (क) 0.445 की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये 1000/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावे। पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> | |
| | <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p> | |

